राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर.
फोन नं. 2710072/2709827 फैक्स नं. 91–0141–2710072

क्रमांक फा. 8पी( )राइसेम/प्रशिक्षण/2017–18/ दिनांक :

अति–आवश्यक

प्रबन्ध निदेशक
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
समस्त।

विषय : राज्य की क्रय–विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कृषि आदान विक्रेताओं हेतु लाईसेन्स हेतु आवश्यक डिप्लोमा करवाने बाबत्।

प्रसंग : रजिस्ट्रार कार्यालय का पत्र क्रमांक फा.115(13)सविरा/मार्के./उर्वरक/2017 दि. 01.09.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के तहत खाद, बीज व पेस्टीसाईड हेतु विक्रेताओं के पास कृषि विषय स्नातकों की डिग्री/निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है। इस हेतु कृषि विभाग द्वारा उपरोक्त डिप्लोमा करवाया जा रहा है। जिसकी गाईडलाईन्स ईमेल द्वारा आपको पठाई जा रही है।

गाईडलाईन के तहत प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है:–

1. उक्त डिप्लोमा एक वर्ष का है जिसमें 40 क्लास रूम एवं 8 फील्ड विजिटस (प्रत्येक रविवार) निर्धारित किए गए है।
2. थ्यौरी एवं प्रेक्टिकल सेशन का मॉड्यूलवाईज पाठ्यक्रम गाईडलाईन के साथ संलग्न है।
3. डिप्लोमा का प्रत्येक बैच 40 कृषि आदान विक्रेताओं का गठित किया जाना आवश्यक है।
4. डिप्लोमा की कुल फीस 20,000 रू. है। जिसमें से 10000 रू. प्रत्येक कृषि आदान विक्रेता की ओर से एवं 10000 रू. डिपार्टमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर एवं को–ऑपरेशन, भारत सरकार की ओर से सब्सिडी स्वरूप वहन किए जावेंगें।
5. डिप्लोमा का कियान्वयन कृषि विभाग के दिशा–निर्देश एवं पर्यवेक्षण में कराया जावेगा।
6. डिप्लोमा कोर्स के आयोजन के लिए विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई जावेगी जिसके तहत कृषि आदान विक्रेताओं को स्थानीय विशेष कृषि शिक्षा ATMA केन्द्र एवं KVKs के माध्यम से प्रदान की जा सके एवं उनकी दैनिक समस्याओं का निदान किया जा सके।

अतः कृपया अवगत करावें कि आपके जिले में कितनी जीएसएस/केवीएसएस है जो कृषि आदान विक्रेताओं के रूप में कार्य कर रही है एवं जिन्हें इन गाईडलाईन्स के तहत ड़िप्लोमा करवाया जाना है?

उक्त सूचना निम्न प्रोफार्मा में पठाए :–

क्र.सं.	नाम जिला	कुल केवीएसएस/जीएसएस	कुल 40 जीएसएस/लैम्पस/केवीएसएस के हिसाब से बैच का गठन

गाईडलाईन की पृष्ठ संख्या 21 एवं 22 (Annexure-1) को प्रत्येक कृषि आदान विक्रेता से भराकर मय 10000 रू. का डी.डी. Director, SIAM, Jaipur के पक्ष में दिनांक 20.09.17 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

P.T.O.

D/Gunjan_Choube_Additional_Director/Office_Letter

आपके क्षेत्राधिकार की समस्त केवीएसएस/जीएसएस का बैंक स्तर से 40 कृषि आदान विक्रेताओं के. निकटवर्ती क्षेत्रानुसार (यथा–दो या तीन पंचायत समितियों की जीएसएस/लैम्पस/केवीएसएस को मिलाकर) गठन किया जाकर बैचवाईज प्रत्येक कृषि आदान विक्रेता के समस्त दस्तावेज यथा– Annexure-1 में उल्लेखित पूर्णरूप से भरा हुआ Application Form एवं 10000 रू. का डी.डी. Director, SIAM, Jaipur के पक्ष में दिनांक 20.09.17 तक राइसेम में भिजवाना सुनिश्चित करें जिससे उक्त कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाने बाबत अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

sd/-

(सोहनलाल लखानी)
निदेशक

क्रमांक फा. 8पी( )राइसेम/प्रशिक्षण/2017–18/6275-89 दिनांक : 12-9-2017

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, प्रधान कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, खण्ड समस्त को भेजकर लेख है कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित को समय पर सूचना भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
3. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक